न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी	: सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या	: 177/2025
जी0सी0एम0एस0 संख्या	: 2025/248

मु. प्रेमदेवी पत्नी बजरंग कुमावत निवासी मूंहला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थिया

बनाम

1– कैलाश पिता रोडू कुमावत निवासी मूंहला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– कमलेश पिता गंगाराम तेली निवासी मूंहला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– रमेश पुत्र गंगाराम तेली निवासी मूंहला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मिश्रीलाल पिता रोडू कुमावत निवासी मूंहला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– छोटूलाल पिता प्रताप धाकड़ निवासी मूंहला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– कल्याण पिता घीसा धाकड़ निवासी मूंहला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 11/09/2025

उपस्थित :–

1. श्री त्रिलोक चंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थिया

::– निर्णय –::

दिनांक : 03/12/2025

वकील मय प्रार्थिया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि **ग्राम मूंहला प0ह0 शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1851 रकबा 0.47 है0, 1856 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 रकबा 1. 28 है0** कृषि भूमि प्रार्थिया की खातेदार की स्थित है। **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीया दिनांक 18.12.24 को अपनी आराजियात पर गयी तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया।** इस प्रकार प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थिया की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः **ग्राम मूंहला प0ह0 शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 2 रकबा 1.28 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु** न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. **1 से 5** बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं. **6** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी।

आज दिनांक **03/12/2025** को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 ग्राम मूंहला प0ह0 शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 1851 रकबा 0.47 है0, 1856 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 रकबा 1.28 है0** की अभिलिखित खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

तहसीलदार **शाहपुरा** को प्रार्थिया की **खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थिया के खर्चे पर प्रार्थिया की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझता हूँ।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया के खातेदारी की आराजी राजस्व **ग्राम मूंहला प0ह0 शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1851 रकबा 0.47 है0, 1856 रकबा 0.81 है0** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थिया की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू—अभिलेख निरीक्षक **आमली कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्ततन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तद्नुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान**(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान)** को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक **03/12/2025** को सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा,जिला-भीलवाड़ा (राज.)

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा